तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी के निवेदन किया कि उक्त उनवान प्रकरण के सम्बन्ध में अंतिम डिक्री पारित हो चुकी है तथा विभाजित जमाबंदी के सम्बन्ध में अंतिम डिक्री जारी होकर पालना पूर्ण हो चुकी है अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः उक्त उनवान प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली विधिवत पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय,
गुडामालानी

प्रार्थीनी:– चुन्नीदेवी पत्नि रामलाल जाति विश्नोई निवासी बाकड़ी तहसील गुडामालानी हाल निवासी ईटादा तहसील सांचौर जिला जालौर

बनाम

उतरदातागण :–

1. जयकिशन पुत्र वगताराम
2. भागीरथ राम पुत्र वगताराम
3. वागाराम पुत्र वगताराम
4. ओमप्रकाश पुत्र वगताराम
5. शातिदेवी पत्नि वगताराम
6. शांतिदेवी पत्नि भागीरथराम
7. सीमा पत्नि वागाराम

जाति विश्नोई निवासी बाकड़ी तहसील गुडामालानी
जिला – बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते अवमानना के विरूद्ध कार्यवाही करने

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थीनी की ओर से निम्न प्रकार है कि :–

1. कि प्रार्थीनी द्वारा एक राजस्व राजस्व वाद धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया है जिसके साथ स्थगन आवेदन धारा [illegible] काश्त.अधि. का भी पेश किया गया था, जो वर्तमान [illegible] में विचाराधीन है। जिसकी सुनवाई तारीख 10.1.22 को नियत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय,
[illegible]

प्रार्थीनी:– [illegible] पत्नि [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible] [illegible] [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible]

बनाम

उत्तरदातागण :–

1. [illegible] पुत्र [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible]
3. [illegible] पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible]
5. [illegible] पत्नि [illegible]
6. [illegible] पत्नि [illegible]
7. [illegible] पत्नि [illegible]
   जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील [illegible]
   जिला [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(3) एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता बाबत अवमानना के विरुद्ध कार्यवाही करने

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थीनी की ओर से निम्न प्रकार है कि :–

1. कि प्रार्थीनी द्वारा एक राजस्व राजस्व वाद धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत श्रीमानजी के समक्ष पेश किया गया है जिसके साथ स्थगन आवेदन धारा 212 राज.काश्त.अधि. का भी पेश किया गया था, जो वर्तमान में न्यायालय श्री में विचाराधीन है। जिसकी सुनवाई तारीख 10.8.22 को नियत है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested

2. कि प्रार्थीनी द्वारा पेश स्थगन प्रार्थना पत्र पर न्यायालय श्री द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 05.04.2021 को स्थगन आवेदन संख्या 34/2021 में प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया कि "मौजा बारूड़ी के खेत खसरा नम्बर 238/1 रकबा 40 बीघा की भूमि में बंटवाडा स्वीकार नहीं होने तक दोनों पक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे, बिना विभाजन किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं करें। जो स्थगन आदेश आज दिन तक लगातार प्रभावी है तथा आगामी पेशी तारीख 10.1.22 को नियत है। स्थगन आदेश की प्रति साथ पेश है।

3. कि श्रीमान न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने के स्थगन आदेश के बावजूद विप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुऐ वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन बलपूर्वक काश्त कर नया निर्माण करवा दिया है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दिया है। इस प्रकार विप्रार्थीगण ने स्थगन आदेश की घोर अवहेलना करते हुऐ वादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में भारी बदलाव कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested

4. कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत वाद व आवेदन विप्रार्थी संख्या 1 से 7 बतौर